न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

.....

प्रकरण क्रमांक निगरानी 395--II / 14 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–09–2013 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, कटनी प्रकरण क्रमांक 21 / पुनरीक्षण / अ–6 / 2012–13.

.....

आशीष सोनी आत्मज सुरेश कुमार सोनी,

निवासी गांधीगंज, कटनी

जिला कटनी ------ आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

द्वारा तहसीलदार, कटनी म0प्र0 ------ अनावेदक

श्री एम0 एम0 मुद्गल, अभिभाषक, आवेदक ।

.....

आदेश

(आज दिनांक 1-7-2015 को पारित)

.....

यह निगरानी अपर कलेक्टर, कटनी के प्रकरण क्रमांक 21 / पुनरीक्षण / अ–6 / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 10–9–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि शम्भू आत्मज श्री मल्थू कुर्मी द्वारा तहसीलदार न्यायालय इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बड़ागांव पह0ह0नं0 27 रा0नि0 मं0 बिलहरी स्थित भूमि खसरा नं0 109, 160 / 1,

158/1 रकबा 0.910, 0.045 एवं 0.060 हैक्टर में से बंदोवस्त के दौरा 0.35 हैक्टर की कमी हो गई है, पुराने नक्शे के अनुसार नये नक्शे में भिन्नता है । आवेदन में उन्होंने उक्त त्रुटि को सुधार किए जाने का अनुरोध किया गया । तहसीलदार ने विचारोपरांत आदेश दिनांक 14–6–07 द्वारा उक्त आवेदन स्वीकार किया जाकर रिकार्ड दुरस्त करने के आदेश पटवारी को दिये । इस आदेश के 5 वर्ष के बाद पटवारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को इस आशय का प्रतिवेदन दिया कि शम्भू वल्द मल्थू कुर्मी के आवेदन पर तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 14–6–07 के अनुसार शासकीय भूमि ख0नं0 108 में से 0.35 हैक्टर भूमि आवेदक की निजी भूमि ख0नं0 109 रकबा 0.060 हैक्टर में शामिल करने के आदेश दिए गए थे । आदेश के कियान्वयन में केवल चालू खसरा नक्शा दुरस्त किया गया । उक्त भूमि खसरा नं0 108/2 रकबा 0.35 लगातार विक्रय होने के फलस्वरूप वर्तमान अभिलेख में आवेदक आशीष वल्द सुरेश सोनी के नाम दर्ज है । प्रतिवेदन में उनके द्वारा मिसल बंदोवस्त एवं निस्तार पत्र में सुधार हेतु कहा गया । इस प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 29.11.12/4.12.12 द्वारा संहिता की धारा 51 के तहत प्रकरण पुनरावलोकन में लेते हुए प्रश्नाधीन भूमि पूर्ववत दर्ज किए जाने का आदेश दिया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि नायब तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 89 के तहत बंदावेस्त द्वारा की गई रकबे की त्रुटि को दुरस्त करने के आदेश पारित किए हैं । एस.डी.ओ. द्वारा पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त कर संहिता की धारा 51 के तहत लगभग 4 साल 6 माह बाद नायब तहसीलदार के आदेश का पुनरावलोकन करते हुए पक्षकारान को बिना नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिए दिनांक 29.11.12/4–12–12 पारित कर नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया है जबकि उन्हें नायब तहसीलदार के आदेश का पुनरावलोकन करने का कोई अधिकार नहीं है ।

यह तर्क दिया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश को संहिता की धारा 89 के तहत पारित आदेश को अधिकारिता विहीन मानकर

खारिज किया गया है जो क्षेत्राधिकार रहित है क्योंकि संहिता में हुए संशोधन के आधार पर दिनांक 1 जनवरी, 2012 से आवेदन पर पुनरीक्षण सुनने के अधिकार कलेक्टर को नहीं रह गये हैं । अतः अपर कलेक्टर, कटनी का आदेश दिनांक10–9–13 क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्ती योग्य है ।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायदृष्टांत 2014 आर0एन0 227 पेश की गई है । इस न्यायदृष्टांत में इस न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 70 के अधीन कलेक्टर की शक्तियां तहसीलदार को प्रदत्त – तहसीलदार द्वारा नक्शा का रूपांतर – अधिकारिता रहित नहीं है । यह भी कहा गया कि पुरानी धारा 87 नवीन 89 के तहत एस.डी.ओ. की शक्तियां तहसीलदार को प्रदान की गई हैं अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अधिकारिता रहित नहीं है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से प्रकरण में सुनवाई के समय कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया तथा उद्धरित न्यायदृष्टांतों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का परिशीलन किया । इस प्रकरण में विनिश्चय हेतु प्रमुख बिंदु यह है कि बंदोवस्त द्वारा की गई त्रुटि को दुरस्त किए जाने का अधिकार किसको है । बंदोवस्त के दौरान हुई त्रुटि को दुरस्त करने के उपबंध संहिता की धारा 89 के तहत हैं जो संहिता में किए गए संशोधन के अनुसार पूर्व धारा 87 की संशोधित क्रम धारा है । पूर्व धारा 87 जिसकी नवीन धारा 89 है की उपखंड अधिकारी की शक्तियां तहसीलदारों को अधिसूचना क्रमांक 2539–6403–सात–ना–1 दिनांक 27 जून, 1968 (राजपत्र दिनांक 8 अगस्त 1968) द्वारा प्रदान की गई हैं । अतः बंदोवस्त द्वारा की गई त्रुटि को सुधार करने की अधिकारिता तहसीलदार को है । ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत है । जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णत अवैधानिक है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी को नायब तहसीलदार के आदेश का रिव्यू करने का कोई अधिकार नहीं है । पुनरावलोकन सदैव स्वयं के आदेश का ही होता है । जहां तक अपर कलेक्टर के आदेश का प्रश्न है, उनके द्वारा उक्त तथ्यों को पूर्णतः

अनदेखा करते हुए आदेश पारित किया गया है । इस कारण उनका आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 21 / पुनरीक्षण / अ–6 / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 10.9.13 निरस्त किया जाता है एवं नायब तहसीलदार, रीठी द्वारा प्रकरण कमांक 11 / अ 5 / 2006–07 में पारित आदेश दिनांक 14–06–07 स्थिर रखा जाता है । तद्नुसार राजस्व अभिलेखों को दुरस्त किया जाये ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर